

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 534] No. 534] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2015/भाद्र 4, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2015/BHADRA 4, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2015

सा.का.िन.666 (अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैरा 52 के उप-पैरा (1) में शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों "भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 11) की धारा 20 के खंडों (क) से (घ)" के स्थान पर "भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 11) की धारा 20" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस - 35012/4/2015 एस एस II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण - कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1509 तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 525(अ),तारीख 2 जुलाई, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

3659 GI/2015 **(1)**

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2015

G.S.R.666(E).- In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

- 1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2015.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 52, sub-paragraph (1), for the words, brackets, letters and figures "clauses (a) to (d) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (11 of 1882)", the words, figures and brackets "section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (11 of 1882)" shall be substituted.

[F. No. S-35012/4/2015-SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number SRO 1509 dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended vide notification number GSR 525 (E) dated the 2nd July, 2015.